न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 17/2021 अपील/चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/30)
पंजीयन दिनांक– 04.02.2021
निर्णय दिनांक– 11.11.2021

1. श्री रामसिंह पिता चैनसिंह राजपुत, निवासी गंठेडी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री भाना पिता दल्ला मेघवाल मृतक के बजायः–

1/1 श्री देवीलाल पिता भाना मेघवाल, निवासी भूरकिया कला, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

1/2 श्रीमती वक्तुबाई पिता भाना मेघवाल, निवासी भूरकिया कला, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

1/3 श्रीमती राजुबाई भाना मेघवाल, निवासी भूरकिया कला, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

2. श्री काना पिता दल्ला मेघवाल, निवासी भूरकिया कला, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री नाथू पिता दल्ला मेघवाल, निवासी भूरकिया कला, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
4. सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामलाल मेघवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण संख्या 75/1989 निर्णय दिनांक 29.09.1989

निर्णय

दिनांक 11.11.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 75/1989 निर्णय दिनांक 29.09.1989 के विरूद्ध दिनांक 31.03.2016 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 23.01.2020 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 04.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने प्रार्थना अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट को मौजा गन्ठेडी की आराजी नम्बर 114 मी रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन आदेश पारित किया गया। अपीलांट भूमिहीन नहीं होकर बड़ा काश्तकार है व आवंटित भू–भाग सन् 1980 से पूर्व से रेस्पोडेंट निगराकार का कब्जा चला आ रहा है, मौके की स्थिति अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने अलग–अलग बंटवाडे कर रखे है व उक्त भूमि रेस्पोडेंट्स के हक व हिस्से की आराजीयात पडती है। आवंटन दिनांक से निगरानी प्रस्तुत करने तक अपीलांट विपक्षी का

उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है, जिससे आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 75/1989 निर्णय दिनांक 29.09.1989 से अपीलांट का आवंटन निरस्त किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29.09.1989 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः— *"हमने मामले पर गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मामलें में आवंटी ने स्वेच्छा से जमीन छोडने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा आवंटन निरस्त कराने की इस्तदुआ की है। प्रार्थीगण का कहना है कि उनका पुराना कब्जा भी है, यदि इसको नहीं भी माना जावे तो भी काश्तकार जिन्हें भूमि आवंटन की गयी है, उन्होने लिखित में आवंटन नहीं चाहने तथा इस आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, ऐसी हालत में यह आवंटन मात्र कागजों में यथावत रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त मामले में उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा का आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1989 निरस्त किया जाता है।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल मेघवाल उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 के कायम मुकामान बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 29.10.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट आवंटी आवंटन शुदा आराजीयात पर काबिज होकर अपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के आवंटन आदेश निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट नोटिस की पालना में उपस्थित हुआ व जवाब प्रार्थना हेतु अवसर चाहा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने मन मकसूद तरीके से अपीलांट की सहमति मानते हुए आवंटन आदेश निरस्त किये जाने का निर्णय पारित किया, जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 29.09.1989 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत् निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 29.09.1989 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि दफा 5 जाप्ता मयाद के आवेदन में अपीलाण्ट द्वारा यह वर्णित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.09.1989 को पारित होना बताया गया है, जिसकी अपीलाण्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.03.2016 को हुई। उसी दिन नकल हेतु आवेदन कर दिनांक 23.03.2016 को नकल प्राप्त हुई जिससे यह अपील अंदर मयाद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट के आवेदन पर अपीलाण्ट का आवंटन

निरस्तीकरण का आदेश दिनांक 29.09.1989 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की दिनांक 28.09.1989 की आदेशिका में यह वर्णित किया गया है कि वकील प्रार्थी उपस्थित विपक्षी रामसिंह ने जवाब दिया कि जमीन आवंटन शुद्धा नहीं चाहता है। आदेशिका अनुसार विपक्षी रामसिंह ने जवाब दिया कि जमीन आवंटन शुद्धा नहीं चाहता है। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विपक्षी रामसिंह के आवंटन शुद्धा भूमि नहीं चाहने बाबत जवाब की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, परन्तु हम यह पाते है कि अपील मेमों में अपीलाण्ट कलम संख्या 4 में स्वयं यह वर्णित करता है किः—

''अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट नोटिस की पलाना में उपस्थित हुआ व जवाब प्रार्थना पत्र हेतु अवसर चाहा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने मन मकसूद तरीके से अपीलांट की सहमति मानते हुए आवंटन आदेश निरस्त किये जाने का आदेश पारित कर दिया।''

प्रकरण में अपीलाण्ट स्वयं की उक्त प्लीडिंग से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट विवादित भूमि का आवंटी रहा है तथा वक्त कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय से नोटिस प्राप्त होना एवं जवाब प्रार्थना पत्र हेतु अवसर चाहा वह स्वयं मानता है, अर्थात् अपीलाण्ट को स्वयं को आवंटित भूमि पर यदि उसके विरूद्ध उसे स्वयं को अधीनस्थ न्यायालय से नोटिस प्राप्त हुआ एवं जवाब प्रार्थना पत्र हेतु अवसर चाहा है तो आवंटन निरस्तीकरण होने की जानकारी उसे सर्वप्रथम दिनांक 29.03.2016 को उसके दफा 5 मयाद अधिनियम के आवेदन अनुसार किस प्रकार होगी जबकि बकौल उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से नोटिस प्राप्त होकर जवाब प्रार्थना पत्र हेतु अवसर चाहा है। स्पष्टतः जब अपीलाण्ट स्वयं यह कहता है कि अधीनस्थ न्यायालय से नोटिस प्राप्त होकर जवाब प्रार्थना पत्र हेतु

अवसर चाहा है, इसका आशय यह होता है कि विवादित भूमि का आवंटन निरस्तीकरण प्रकरण होने की जानकारी उसे वर्ष 1989 से स्पष्ट रूप से है परन्तु उसके द्वारा दफा 5 मयाद अधिनियम के आवेदन में त्रुटिपूर्ण भ्रामक एवं अस्वच्छ हाथों से वर्णन किया है कि उसे सर्वप्रथम 29.03.2016 को जानकारी हुई। अपीलाण्ट जब स्वच्छ हाथों से नहीं आया है तथा बकौल उसे वर्ष 1989 से उक्त भूमि आंवटन निरस्तीकरण प्रकरण की उसे जानकारी होना स्वाभाविक है। वर्ष 1989 से जब उसे इस आवंटन निरस्तीकरण प्रकरण की जानकारी है तो उसके द्वारा दिनांक 31.03.2016 को अपील प्रस्तुत किया जाना निःसंदेह 27 वर्ष करीब का विलम्ब है जिसके लिए उसके द्वारा कोई संतोषप्रद आधार नहीं दिये गये हैं, इसके विपरीत अपील मेमों एवं दफा 5 जाप्ता मयाद के आवेदन में जो तथ्य दिये गये हैं, वे सद्भावी तथ्य नहीं होकर विरोधाभासी तथ्य है एवं बकौल उसके ही उसे आवंटन निरस्तीकरण होने की जानकारी वर्ष 1989 से होना प्रमाणित है। ऐसी परिस्थितियों में अपीलाण्ट के स्वच्छ हाथों से नहीं आने एवं प्रकरण में विलम्ब का कोई औचित्यपूर्ण कारण दर्शित नहीं होने से अपील अपीलाण्ट को बैरून मयाद होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर